

File No. SEEPZ-SEZ/ESTATE/NOMI/518/2016-17/ 05-02-2026

परिपत्र सं. ०७./२०२६
Circular No. ०७./२०२६

विषय: सीप्ज-सेज प्राधिकरण के सदस्य के रूप में नामांकन हेतु आवेदन आमंत्रित करने के संबंध में।

Sub: Regarding the Invitation of application for nomination as member as SEEPZ-SEZ Authority.

सीप्ज-सेज प्राधिकरण, सीप्ज-विशेष आर्थिक क्षेत्र में अवसंरचना के विकास एवं रखरखाव के लिए शासकीय निकाय है। प्राधिकरण में अध्यक्ष सहित 4 पदेन स्थायी सदस्य और व्यापार से 2 नामित सदस्य शामिल हैं। व्यापार से नामित वर्तमान सदस्यों का कार्यकाल 28.07.2026 को समाप्त हो रहा है। अतः सीप्ज-सेज में व्यापार से दो नए सदस्यों के नामांकन के साथ प्राधिकरण का पुनर्गठन किया जा रहा है।

यदि कोई यूनिट धारक चाहते हैं कि नामांकन के लिए उनके नाम पर विचार किया जाए, तो वे अपनी सहमति दिनांक 31.03.2026 तक या उससे पूर्व भेज दें। कृपया ध्यान दें कि नामित सदस्य को प्राधिकरण की बैठकों में नियमित रूप से उपस्थित होना होगा; बैठकों की सूचना पहले ही भेज दी जाएगी।

केवल प्रबंध निदेशक / निदेशक (कंपनी के बोर्ड में सम्मिलित) / प्रबंध भागीदार

SEEPZ-SEZ Authority is the governing body for development and maintenance of infrastructure in SEEPZ, Special Economic Zone. The Authority comprises of 4 ex-officio permanent members including chairperson and 2 nominated members from Trade. The tenure of the existing nominated members from Trade likely to expire by 28.07.2026. Therefore, the Authority is being reconstituted with fresh nomination of two members from the Trade in SEEPZ-SEZ.

In case, the unit holder are willing to be considered for nomination, they should send their willingness on or before 31.03.2026. It may kindly be noted that the nominated member would be required to attend the meeting of the Authority on regular basis; a notice of the meetings will be send in advance.

Only Managing Director /Director (on board of the company)

अथवा यूनिट के मालिक, जो दिनांक 10.09.2014 के निर्देश संख्या 82 (प्रतिलिपि संलग्न) के अनुसार निर्धारित मानदंड/पात्रता को पूर्ण करते हों, नामांकन हेतु पत्र होंगे। नामांकन के प्रत्यायोजन की अनुमति नहीं है। निम्नलिखित परिस्थितियों के घटित होने पर नामित सदस्य को सदस्यता से त्यागपत्र दिया हुआ माना जाएगा : -

1. सीप्ज-सेज प्राधिकरण से त्यागपत्र देने पर।
2. सदस्य की मृत्यु होने पर।
3. सदस्य के प्रतिनिधित्व वाले यूनिट द्वारा सीप्ज-सेज प्राधिकरण को देय राशि के भुगतान में छूक होने पर।
4. सदस्य द्वारा प्राधिकरण की लगातार तीन बैठकों की कार्यवाही में अनुपस्थित रहने पर।
5. यदि ऐसे सदस्यों द्वारा प्रतिनिधित्व वाले यूनिट के खिलाफ राज्य या केंद्र सरकार द्वारा उस समय लागू किसी भी कानून के उल्लंघन के लिए कोई आपराधिक कार्यवाही शुरू हुई हो।
6. ऐसे सदस्य के प्रतिनिधित्व वाली यूनिट बीमार है, बंद है या लगातार 6 महीने से अधिक समय से निर्यात नहीं कर रही है और
7. सदस्य के प्रतिनिधित्व वाली यूनिट को जारी किया गया अनुमोदन पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा धोखाधड़ी, गलत बयानी आदि के कारण रद्द कर दिया गया हो।

यूनिट धारकों को सूचित किया जाता है कि अपनी सहमति तथा आवश्यक विवरण निर्धारित प्रारूप (अनुलग्नक संलग्न) में 31.03.2026 तक या उससे पूर्व प्रस्तुत करें। निर्धारित समय सीमा के पश्चात प्राप्त कोई भी आवेदन/सहमति नामांकन हेतु विचारार्थ स्वीकार नहीं की जाएगी।

यह अध्यक्ष, सीप्ज-सेज प्राधिकरण के

(/Managing partner and proprietor of the unit fulfilling the parameters/criteria as per instruction no. 82 dt. 10.09.2014 (copy enclosed) would be eligible to be nominated, Delegation of the nomination is not permitted the nominated member shall be deemed to have vacated the membership on occurrence of the following :-

1. Resignation from the SEEP-SEZ Authority
2. Death of the member
3. Unit represented by the member defaults in payment of dues to SEZ Authority concerned.
4. Member absent himself /herself in attending the proceedings of Authority of three consecutive meetings.
5. If any criminal proceedings in initiated against the unit represented by such member either by State or Central Govt. for violation of any law for time being in force.
6. Unit represented by such member is sick, closed or has not been exporting for more than 6 consecutive months and
7. Letter of Approval issued to the unit represented by member is cancelled by Competent Authority for reason of fraud, misrepresentative etc.

Unit holder are hereby informed that the willingness and details may be submitted in the prescribed format (Annexure enclosed) on or before 31.03.2026. Any application/willingness received beyond the prescribed time limit will not be considered for nomination.

This issue with the approval of

अनुमोदन से जारी किया जाता है।

Chairman, SEEPZ -SEZ Authority.

Digitally signed by
SANDIP DINKAR BHOSALE
Date: 05-02-2026

11:17:57

संदीप डॉ. भोसले / Sandip Dinkar Bhosale

उप विकास आयुक्त / Deputy Development Commissioner,
सीप्ज़-सेज़, मुंबई / SEEPZ-SEZ, Mumbai

